फर्द अहकाम

मातादीन बनाम नरसीलाल व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 04/2025 (टी. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	03/04/25	आज दिनांक 03/04/25 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेन्स/ कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/ ~~[illegible]~~ है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/04/25 को पेश हो।
	16/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण सं. 01 ता 04 की ओर से बावजूद प्राप्ति सी. नोटिस दिनांक 03/02/25 के तथा प्रस्तुत V.T./उपस्थिति दिनांक 10/02/25, 25/02/25 के क्रम में वकालतनामा तथा जवाब प्रार्थनापत्र टी. आई. आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्तानुसार अप्रार्थीगण सं. 01, 02 द्वारा नोटिस लेने से इंकार करना अंकित है तथा अप्रार्थीगण सं. 3, 4 को विधिवत सी. नोटिस प्राप्त भी हुआ है। जिसके क्रम में स्वयं अप्रार्थी सं. 04 द्वारा उपस्थिति की प्रस्तुत की गई है। इसके उपरान्त भी न्यायालय हाजा के समक्ष विधिवत जवाब प्रार्थना टी. आई. भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके उपरान्त अप्रार्थी 4 निरन्तर अनुपस्थित है। अतः अप्रार्थीगण सं. 01 ता 04 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। पक्ष प्रार्थनापत्र टी. आई. पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुनी गई। प्रकरण में किसी भी अप्रार्थी पक्षकार की ओर से कोई मान्य/औपचारिक आपत्ति अथवा वादपत्र व प्रार्थनापत्र टी. आई. के खण्डन

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

मातादीन बनाम नरसीलाल व अन्य

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

04/2025 (टी. आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	का किसी भी स्तर पर दोहे खंडन/ प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा मूल प्रकरण मार्ग अभिलिखित तह- खतपारित अनुसार भूमि के विधिक विभाजन (बंटवारा) से सम्बन्धित है। जिसके मूल प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अतः चूंकि मुकदमा में प्राथमिक डिक्री जारी की गई है तथा प्रकरण का किसी भी स्तर पर व किसी भी रूप में कोई खंडन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे न्यायहित व वादबहुलता के दृष्टिगत पूर्व अन्तरिम आदेश दिनांक 29.01.25 को तामील आदेश) दिनांक 29.01.25 को तामील मुलतवी स्थाई किया जाकर अप्रार्थीगण को अभिलिखित भूमि वादग्रस्त आ.ख.नं. 165, 192, 198 कुल रकबा किला 3 कुल रकबा 3.82 है० बीघे ग्राम लदाना तहसील आमेर जिला जयपुर की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:56:46 IST
Reason: SelfAttested